न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/80/2017

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
रवि यादव		लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड
सहायक अनुभाग अधिकारी		अधिकारी नीमराना (अलवर)

मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डवलपमेंट एण्ड एन्टरप्रेन्यॉरशिप
सेकेंड फ्लोर, एनेक्ज बिल्डिंग शिवाजी स्टेडियम,
शहीद भगतसिंह मार्ग, कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली--110001

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 19.12.2017

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं और ना ही कोई जवाब नोटिस प्राप्त हुआ।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 18.08.2017 के माध्यम से राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड कार्यालय नीमराना को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन--पत्र प्रस्तुत कर अन्य राज्यों से माइग्रेट होकर राजस्थान में स्थाई रूप से निवास कर रहे व्यक्तियों को जारी जाति प्रमाण--पत्र संबंधी 02 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी।
5. आवेदक को उपरोक्त प्रार्थना--पत्र में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण आवेदक द्वारा प्रार्थना– पत्र दिनांकः 16.10.2017 के माध्यम से इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम. द्वितीय/आर.टी.आई.अपील/2017/1576--77 दिनांकः 09.11.17 के माध्यम तलब कर दिनांकः 27.11.2017 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से दिनांकः 27.11.2017 को कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही किसी प्रकार का जवाब नोटिस प्राप्त हुआ। उसके पश्चात् पत्रांकः 1617–18 दिनांकः 27.11.2017 एवं पत्रांकः 1680ए दिनांकः 12.12.2017 के माध्यम से स्मरण–पत्र जारी कर पुनः अपीलोत्तर मय प्रकरण में सूचना प्रेषित नहीं किये जाने बाबत स्पष्टीकरण चाहा गया किन्तु तब भी प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ।
8. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी पक्ष अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सजग नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण में आदिनांक तक कोई जवाब/प्रत्युत्तर/ प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है। प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से आवेदक के प्रथम आवेदन–पत्र दिनांकः 18.08.2017 के संबंध में अधिनियम की धारा 7(1) के तहत ना ही विनिर्दिष्ट समयावधि में सूचना उपलब्ध कराई गई और ना ही अधिनियम की धारा 7(8) व 8(1) क से 8(1) ञ में उपलब्ध किन्हीं उपाबन्धों के तहत आवेदन अस्वीकृति/खारिज करने संबंधी जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराई गई अर्थात् सूचना उपलब्ध नहीं कराने का कोई युक्तियुक्त कारण आवेदक उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं प्रथम अपील में जारी

नोटिस/स्मरण-पत्रों के बावजूद भी अपीलार्थी को सूचना प्रेषित नहीं की है और प्रथम अपील अन्तर्गत जवाब नोटिस भी प्रेषित नहीं किया गया जो अधिनियम की भावना के प्रतिकूल है।

9 अस्तु अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की प्रति प्राप्ति के 15 दिवस में अपीलार्थी को प्रार्थना-पत्र दिनांक:18.08.2017 में वांछित सूचना निःशुल्क ही नियमानुसार अधिप्रमाणित कर उपलब्ध कराई जावे।

10.प्रत्यर्थी पक्ष द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन-पत्र दिनांकः 18.08.2017 पर अधिनियम की धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट समयावधि में विनिश्चिय नहीं किये जाने एवं प्रथम अपील अन्तर्गत जारी नोटिस/स्मरण-पत्रों के परिप्रेक्ष्य में जवाब भी प्रेषित नहीं किये जाने के क्रम में लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना से स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्यवाही की जावे।

11.यहाँ यह भी वर्णन करना उचित होगा कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र/दिशानिर्देशों के अनुसरण में अधिनियम के प्रावधानानुसार निर्धारित समयावधि में आवेदकों को सहज भाव से सूचना की अदायगी में अविलम्ब सूचना प्रेषित की जावे।

12. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

13. निर्णय घोषित ।

(बनवारी लाल रमण)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर(राज0)